न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी रियांबडी जिला –नागौर
पीठासन अधिकारी श्री गौरीशंकर शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 216/2019

रेगर समाज श्री गंगामाई मंदिर विकास सेवा समिति आलनियावास
जरिये अध्यक्ष छगनलाल पुत्र श्री मंगाराम, जाति रेगर
निवासी आलनियावास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

01. टीकाराम पुत्र श्री चिमनाराम
02. रूपाराम पुत्र श्री चिमनाराम
03. कमल किशोर पुत्र श्री रामपाल के कायम मुकाम :–
    3/1 मैना पत्नि श्री कमलकिशोर
    3/2 मुकेश पुत्र श्री कमल किशोर
    3/3 मनीष पुत्र श्री कमल किशोर
    3/4 रवी पुत्र श्री कमल किशोर
04. बाबूलाल पुत्र श्री रामपाल
05. विष्णु पुत्र श्री रामपाल
06. राजु पुत्र श्री रामपाल
07. सीता पत्नी श्री रामपाल
08. मोतीराम पुत्र श्री धन्नाराम
09. राकेश पुत्र श्री धन्नाराम
10. संगीता पुत्री श्री धन्नाराम
11. रामप्रसाद पुत्र श्री देवकरण
12. आईदान पुत्र श्री देवकरण
13. रतनाराम पुत्र श्री देवकरण
14. सेवाराम पुत्र श्री मांगुराम
15. मोहनी पत्नी श्री भंवरलाल
16. मेघाराम पुत्र श्री भंवरलाल
17. जानकी पत्नी श्री पप्पुराम
18. नौरतराम पुत्र श्री भंवरलाल
19. चेनाराम पुत्र श्री भंवरलाल
20. झुमरराम गोद पुत्र श्री छोगा राम
21. मेघाराम पुत्र श्री रामनाथ
22. माधुराम पुत्र श्री रामनाथ
23. डालुराम पुत्र श्री रामनाथ
24. सम्पति पत्नी श्री कानाराम
25. प्रकाश पुत्र श्री कानाराम
26. घनश्याम पुत्र श्री कानाराम
27. सेवाराम पुत्र श्री मांगुराम
    सभी जातियान रेगर, निवासीगण आलनियावास
    तहसील रियांबड़ी जिला नागौर (राज.)
28. तहसीलदार रियांबड़ी
29. पटवारी हल्का आलनियावास

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)

बाबत रेकर्ड दुरूस्ती ,खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 91, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक

वादी ने यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत 88, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश । वाद का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रेगर समाज श्री गंगामाई मंदिर विकास समिति आलनियावास एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण नियम 1958 (राजस्थान अधिनियम 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, जिसके रजिस्ट्रेशन क 190/नागौर/2015–16 है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति साथ मे पेश है। है कि वादी उक्त रजिस्टर्ड संस्था का अध्यक्ष है, उक्त संस्था की ओर से समस्त वाही करने हेतु वादी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है इस हैसियत से वादी उक्त वादी पेश रहा है । यह है कि प्रतिवादीगण रामप्रसाद, आईदान, रतनाराम पिसरान देवकरण, राम, रूपाराम पिसरान चिमनाराम, सेवाराम पुत्र मांगुराम, झुमरराम गोदपुत्र छोगा राम व प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने ग्राम आलनियावास के पुरान खेत ख.न. 402/2 रकबा 1 बीघा बिश्वा किस्म चाही 2 को वादी की संस्था को बख्शीश (दान) कर दिया था, जिसका शीश बाबत् इकरारनामा भी प्रतिवादीगण व इनके पूर्वाजों ने संस्था के पक्ष मे दिनांक 17.12. 05 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर सुपुर्द किया था तथा उसी समय परोक्त वादी खसरा पर कब्जा वादी संस्था का करवा दिया था तत्पश्चात् वादी संस्था परोक्त खेत पर बेरोक–टोक काश्त व काबिज है तथा वादी संस्था द्वारा उक्त खेत के चारो रफ पक्की दीवार का निर्माण करवाया हुआ है। इकरारनामा बख्शीश की फोटो प्रति वाद के ाथ पेश है। यह है कि उक्त पुराने ख.न. 402/2 रकबा 1 बीघा 10 बिश्वा के नये ख.न. 669 रकबा 0.24 हैक्टेयर कायम किये गये, राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी आज दिन बख्शीशकर्ता, उनके उतराधिकारियों प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 के नाम दर्ज है, जिससे वादी को उक्त वाद घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी होने से वाद पेश है। यह है कि उपरोक्त खसरान की खातेदारी मे प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण के दिल में बदनियति आ गई है तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त खसरान को बेचान, बख्शीश, हस्तान्तरण करने पर उतारू है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है, यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों मे सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपुर्ति किसी भी रूप मे पूरी नही की जा सकती, जिससे वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 26 भूमिधारी होने व प्रतिवादीगण संख्या 27 राजस्व रेकर्ड का संधारणकर्ता होने के कारण इन्हें भी पक्षकार बनाया गया है।

यह है कि इस्तदुआ वादी निम्न है कि दावा डिक्री बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि :–

(अ) यह है कि मौजा आलनियावास की सरहद मे स्थित खेत ख.न. 669 रकबा 0.24 हैक्टेयर की खातेदारी रेगर समाज श्री गंगामाई मंदिर विकास सेवा समिति आलनियावास घोषित की जावें व इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड तक दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

(ब) यह है कि स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री इस आशय की जारी की जावें कि मौजा ग्राम आलनियावास की सरहद मे स्थिर नये ख.न. 669 रकबा 0.24 हैक्टेयर मे वादी के कब्जें काश्त मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल व दस्त अन्दाजी पैदा नही करे व उपरोक्त खसरान को अपने नाम खातेदारी होने से किसी अन्य व्यक्ति को बैचान, बख्शीश, रहन, हस्तान्तरण आदि न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करवावें।

(स) अन्य अनुतोष जो वादी के हक मे हो, सादिर फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को त जबाब हेतु तलब किया गया। प्रकरण में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1, 3/2, 3, 4, 5, 7 से 10, 14 से 20 के बीच राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक किया कर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 11 से 13, 22 से 27 के सम्मन जस्टर्ड डाक से भेजे गए, एक माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत भी कोई स्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई व प्रतिवादी संख्या 3/4, 6, का सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व कपक्षीय कार्यवाही की गई। वकुलाय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पेश रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे पेश दस्तावेजों, राजीनामा एवं सम्पूर्ण वेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैः—

मौजा आलनियावास की सरहद मे स्थित खेत ख.न. 669 रकबा 0.24 हैक्टेयर की तेदारी रेगर समाज श्री गंगामाई मंदिर विकास सेवा समिति आलनियावास के नाम घोषित की जाती है। तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर राजस्व कर्ड दुरूस्त किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को हरीर जारी हो।

ट :—अगर किसी बैंक का रहन है तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)

निर्णय आज दिनांक 12/10/22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।